न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ), जालोर

पीठासीन अधिकारी :- श्री चम्पालाल जीनगर आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं0 :- 50/1988

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
खेतसिंह पुत्र रावतसिंह जाति राजपूत निवासी आकोली तहसील व जिला जालोर		1. मृतक केशरसिंह के कायम मुकाम 1/1 राणसिंह पुत्र केशरसिंह 1/2 रामसिंह पुत्र केशरसिंह 2. मृतक छैलसिंह के कायम मुकाम 2/1 दीपसिंह पुत्र छैलसिंह 2/2 ईश्वरसिंह पुत्र छैलसिंह 3. दुर्जनसिंह पुत्र परबतसिंह 4. कालूसिंह पुत्र उकसिंह 5. मृतक गजेसिंह के कायम मुकाम 5/1 भवानीसिंह वल्द गजेसिंह 6. मृतक मोडसिंह के कायम मुकाम 6/1 दलपतसिंह पुत्र मोडसिंह 6/2 भलसिंह पुत्र मोडसिंह 7. जबरसिंह फौत के कायम मुकाम 7/1 शैतानसिंह पुत्र जबरसिंह 8. मृतक मंगलसिंह के कायम मुकाम 8/1 पाबूसिंह पुत्र मंगलसिंह 9. ओमकार सिंह पुत्र भबूतसिंह जातियान राजपूत निवासीगण आकोली।

दावा हस्त दफा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :-

1. श्री नेनसिंह राजपुरोहित सांथू अभिभाषक वादी
2. प्रतिवादीगण गैर हाजिर

निर्णय

दिनांक :- 14/8/19

वकील वादी द्वारा एक वाद बर खिलाफ प्रतिवादीगणों के इस आशय का पेश कर बताया कि सरहद मौजा आकोली के ख0नं0 176 रकबा 29 बीघा 8 बिस्वा किस्म चाही थई, ख0नं0 175 रकबा 11 बीघा किस्म गै0मु0 ओड्, ख0नं0 175/1 रकबा 1 बिस्वा गै0मु0 बेरा जुमले रकबा 29 बीघा 19 बिस्वा आया हुआ है। जिस पर 1/2 हिस्से पर मुझ वादी का कब्जा काश्त शुरू से आज दिन तक बदस्तुर चला आ रहा है तथा प्रतिकुल कब्जे से सिद्धान्त के आधार पर भी उक्त मृतदाविया आराजी में से 1/2 बंट के हिसाब से 15 बीघा की खातेदारी घोषित करवाने का मुश्तहक हूं।

विवादित आराजी में से 1/6 हिस्से की आराजी की खातेदारी मुझ वादी के नाम बदस्तुर है तथा 1/6 हिस्से थी खातेदारी मे मुझ वादी व प्रतिवादी सं0 2 छैलसिंह की खातेदारी है तथा प्रतिवादी सं0 2 छैलसिंह का बंट भी आज से 15 वर्ष पूर्व भाई बंट के

कलेक्टर
जालोर

Scanned by CamScanner

हिसाब से मेरे हिस्से में आया है और उक्त छैलसिंह के बंट के बजाय पारिवारिक बंटवाडे के हिसाब से उक्त बंट के बजाय उसे हमारी दुसरी आराजी बंट में दी गई तथा 1/6 हिस्से की आराजी प्रतिवादी नं0 1 केशरसिंह पुत्र गुमानसिंह के मुताबिक मुख्य विवाद है। अन्य प्रतिवादीगण 3 से लगावत 9 के हिस्से मुतालिक वादी को कोई एतराज नही है। उनके बंट पूर्व से ही अलग कर रखे है। चुंकि सह खातेदार होने से फोर्मल पक्षकार बनाया है।

उक्त आराजी मुतनाजा मे पूर्व से ही हमारा पुश्तैनी एक बेरा खोदा हुआ है। जो बेरा बनाम पतालिया वाला के नाम से पुकारते है। बेरा मौके पर पक्का बना हुआ है। जिस पर मुझ वादी के नाम से बिजली का संबंध ले रखा है। जिसके द्वारा आराजी की आसपास की जाती है एवं 1/6 हिस्से पर मेरा कब्जा कास्त है तथा बिगोडी इत्यादी भी सहखातेदारों के साथ में वादी अदा करता हूं।

चुंकि प्रतिवादी सं0 1 केशरसिंह का उक्त आराजी पर कभी भी कब्जा कास्त नही रहा है। बरवक्त सेटलमेंट केशरसिंह की मेरे साथ मावली होने से सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा मौके के सही पेमाईश नही करने पर उसका नाम अंकित कर दीया है। आपसी रिश्तेदार होने से कोई तकलीफ नही रही फिर भी उक्त हिस्से मात्र का प्रतिफल चुकता बकाया लिखित इकरार नामा भी करवा दिया है।

मगर वर्तमान बाजार दर की किमत को देखते हुये नियत मे फर्क आ गया है और कब्जे पर उतारू है। दिनांक 30.06.88 को मौके पर आकर धमकी दी तब वाद पैदा हुआ है।

इस प्रकार वादी का वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये जवाब देही सम्मन से आहुत किया गया। जिस पर 8 एवं 9 की तरफ से दिनांक 03.10.88 को श्री सुजानसिंह अभिभाषक हाजिर हुये और अपना वकालतनामा पेश किया। नं0 1 एवं 4 की ओर से 13.08.88 का वकालतनामा पेश हुआ। दीगर 2, 3, 5, 6 के सम्मन आबाद मकान पर चस्पा होने के बावजूद भी हाजिर नही होने से दिनांक 10.12.89 का इकतरफा आदेश पारित किया। नं0 7 फौत हो गये समयावधि में उनके कायम मुकाम की दरख्वास्त पेश नही होने पर प्रतिवादी सं0 7 श्री मोडसिंह के विरूद्ध वाद abat किया गया। इसके अलावा मृतक प्रतिवादी संख्या 1 के फौतगी पर 22.10.90 की समयावधि में वारिशान की सूची पेश करने पर उनके कायम मुकामात को रिकार्ड पर लिये गये उनकी तरफ से भी श्री सुजानसिंह अभिभाषक हाजिर हुये और दिनांक 30.05.91 को प्रतिवादी 1, 4, 8, 9 की ओर से अपना जवाब पेश हुआ। जिसमें बताया कि बेरा बनाम पतालिया पर वादी का 1/2 हिस्से पर कभी भी कब्जा कास्त नही रहा है और ना ही प्रतिवादी सं0 1 थे निस्फ हिस्से 1/6 पर कभी भी कब्जा कास्त नही रहा है ना ही लगान भी अदा किया है। वादी का वाद बेबुनियाद एवं मनगढ़त है। अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा कभी भी वादी के हक में लिखत इकरार नामा पर हस्ताक्षर नही किये है। इसके उपरांत भी अगर इकरारनामा पेश हुआ है तो फर्जी एवं मनगढ़त है। अलावा वादी ने प्रतिवादी सं0 1 के निस्फ 1/6 हिस्से पर वक्त सेटलमेंट टिनेन्ट अथवा सबटिनेन्ट होने बाबत कोई सबूत पेश नही किया है। अतः वाद वादी काबिल खारिज है।

इस प्रकार प्रतिवादीगण का जवाब आने पर वाद में तनकीयात कायम की गई।

(1) विवादित आराजी कुल 29 बीघा 19 बिस्वा में से 1/2 हिस्से पर प्रतिकुल कब्जे के आधार पर भी वादी खातेदारी पाने का हकदार है। (वादी)

(2) आया सह खातेदार छैलसिंह के बंट की आराजी 1/6 हिस्सा भी पारिवारिक बंटवाडा के हिसाब से वादी के कब्जे कास्त में है एवं प्रतिवादी सं0 1 के बंट की आराजी 1/6 का भी पूर्व में बैचान कर काबिज करवा दिया था। अतः वादी खातेदारी हक एवं रिकार्ड दुरस्त करवाने का अधिकारी है। (वादी)

(3) वादी प्रतिवादी केशरसिंह के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है। (वादी)

(4) आया वादी का इकरारनामा फर्जी है। यदि हो तो वाद पर कोई असर नही होगा। (प्रतिवादी)

(5) आया वाद वादी एड्वर्स पजेशन के सिद्धान्त पर भी चलने योग्य नही है। (प्रतिवादी)

इस प्रकार वाद बिन्दू कायम किया जाकर मामला शहादत वादी में गवाह सवीया, जयसिंह एवं छैलसिंह के बयान कलम बन्द किये गये शहादत वादी में रहते वाद में पक्षकारान द्वारा एक आपसी राजीनामा होने बाबत लिखित राजीनामा कर मौजा आकोली के साबिका बन्दोबस्त के ख0नं0 176, 175/1, 176 कुल रकबा 29 बीघा 19 बिस्वा में 1/6 हिस्से की आराजी में मात्र भावली होने के नाते नाम दर्ज हो गया है। अतः उक्त आराजी के 1/6 हिस्से में केशरसिंह पुत्र गुमानसिंह राजपूत के बजाय खेतसिंह पुत्र रावतसिंह

कलेक्टर
जालोर

Scanned by CamScanner

राजपूत साकिन आकोली दर्ज किया जावे तो कोई आपत्ति नही होना बताया है। जिस पर लायक पक्षकारान के विद्अभिभाषकों की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी कुल जमीन 29 बीघा 19 बिस्वा में पजेशन 1/2 पर है एवं 1/6 मेरे नाम है। 1/6 जमीन भाई बंट से मिली है। उक्त समस्या के भ्रम में कोई ठोस सबूत रजिस्ट्री इत्यादि पेश नही किये है। बिजली कनेक्शन लेने संबंधित कोई ठोस सबूत नही है।

राजीनामे एवं वाद पक्ष में अंकित ख0नं0 का रिकार्ड से मेल नही खाता है एवं राजीनामा नियमानुकूल नही है। पक्षकारान ने रजिस्ट्री खर्चा बचाने मात्र के उद्धेश्य से ही राजीनामा पेश किया जाना प्रतीत होता है। उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर वाद वादी दिनांक 29.08.96 को खारिज किया गया।

इस न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 29.08.96 के विरूद्ध माननीय राजस्व अपील अधिकारी पाली के समक्ष अपील सं0 08/2014 खेतसिंह बनाम मृतक केसरसिंह के कायम मुकाम राणसिंह वगैरा प्रस्तुत की। इस अपील में माननीय राजस्व अपील अधिकारी पाली द्वारा दिनांक 26.05.17 को निर्णय पारित किया गया है कि अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त कर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि दावे में प्रस्तुत साक्ष्य, सबुतो का पूर्ण अध्ययन कर एवं आवश्यक हो तो अन्य तनकी कायम की जाकर तनकीवार अपना विस्तृत एवं विवेचना सहित निर्णय पारित करे।

प्रकरण माननीय राजस्व अपील अधिकारी महोदय के न्यायालय से प्रतिप्रेषित किये जाने पर इस न्यायालय में पुनः दर्ज कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी के सम्मन तामील नही होने से अखबार में छाया करवाया गया। प्रतिवादीगण का सम्मन अखबार में छाया होने के पश्चात प्रतिवादीगण सं0 1(1/1, 1/2) 2(2/1, 2/2) 3, 4, 5 (5/1), 6 (6/1, 6/2), 7 (7/1), 8, 9 गैर हाजिर रहने से इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई एवं साक्ष्य वादी को रिकार्ड पर लिया गया।

वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में लिखत इकरारनामा ई0एक्स01, नकल जमाबंदी संवत 2037 से 2042 ई0एक्स 2 नकल खसरा गिरदावरी संवत 2040 से 2043 ई0एक्स 3 बिगोडी रसीदे ई0एक्स 4 से ई0एक्स 10, नकल खसरा गिरदावरिया संवत 2012 से 2043 ई0एक्स 11 से ई0एक्स 14, नकल मिलान क्षेत्रफल ई0एक्स 15 नकल जमाबंदी संवत 2072 से 2075 ई0एक्स पी 16 प्रस्तुत की है। वादी द्वारा जुबानी शहादत में गवाह पी0डब्ल्यू 1 खेतसिंह, गवाह पी0डब्ल्यू 2 तलकाराम, गवाह पी0डब्ल्यू 3 संदीया, पी0डब्ल्यू 4 जयसिंह, गवाह पी0डब्ल्यू 5 छैलसिंह, गवाह वादी स्वयं पी0डब्ल्यू 6, गवाह पी0डब्ल्यू 7 ओमकारसिंह, गवाह पी0डब्ल्यू 8 भवानीसिंह के बयान करवाये गये।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजी शहादत में लिखत इकरारनामा ई0एक्स0पी0 1 के अंकनों के अनुसार केसरसिंह द्वारा लिखत इकरारनामा तहकीर करवाया है कि बेरा पतालीया ख0नं0 176, 175, 175/1 में जो उसका खातेदारी का 1/6 बंट है वो पूर्ण 1/6 हिस्सा वह छैलसिंह व खेतसिंह वल्द रावतसिंह राजपूत साकिन आकोली वालो को बेचान कर दिया है। जिसके बदल रकम 2000 रूपये एवं बापोती की आवासीय जमीने इनसे मैने प्राप्त की है जिसकी कीमत 1000 रू0 है प्राप्त कर लिये है और जिस समय ये खरीददार रजिस्ट्री करवाना चाहेगे तब वह रजिस्ट्री करवाने को तैयार है। उक्त 1/6 हिस्सा में छैलसिंह व खेतसिंह खेती कर सकेंगे। नकल ई0एक्स0पी0 2 नकल जमाबंदी संवत 2037 से 2042 है जिसमें विवादित आराजी के 1/6 हिस्से के खातेदार छैलसिंह व खेतसिंह दर्ज है व 1/6 हिस्से के खातेदार छैलसिंह व खेतसिंह दर्ज है व 1/6 हिस्से के खातेदार केसरसिंह पुत्र गुमानसिंह दर्ज है। ई0एक्स0पी0 3 नकल खसरा गिरदारी संवत 2040 से 2043 है। जिसमें सभी सहखातेदारों की सामलाती कास्त दर्ज है। ई0एक्स0पी0 4 से 10 बिगोडी की रसीदे वादी द्वारा पेश की है। जिसके अंकनों अनुसार खेतसिंह द्वारा बिगोडी अदा किया जाना पाया जाता है। ई0एक्स0पी0 11 से 14 नकल खसरा गिरदावरिया है। जिसमें सहखातेदारों की सह खातेदारी व कास्त होना अंकित है। ई0एक्स0पी0 15 नकल मिलान क्षेत्रफल की है। जिसके अंकनों अनुसार विवादित गत ख0नं0 176 मी, 176 मी0, 176 मी0, 175/1, 175 के नवीन ख0नं0 601, 602, 603, 604, 605 बने है। ई0एक्स0पी0 16 नकल जमाबंदी संवत 2072 से 2075 है। जिसमें वर्तमान सहखातेदारों के खातेदारी के नाम अंकित है।

Scanned by CamScanner

जुबानी शहादत में वादी के निम्न गवाहान पेश हुए जिनके बयान सारांशतः व संक्षिप्त में निम्नानुसार है -

गवाह वादी स्वंय खेतसिंह पी0डब्ल्यू 1

वादी खेतसिंह अपने बयानों में बताता है कि विवादित आराजी में 1/6 हिस्सा केशरसिंह पुत्र गुमानसिंह का था वह हिस्सा मुझ वादी खेतसिंह व छैलसिंह को दिया था जिसका इकरारनामा ई0एक्स0पी0 1 है। यह इकरारनामा बएवज रूपये 2000/- लेकर तहरीर करवाया था इसमें केसरसिंह के लडके राणसिंह के दस्तखत है। लिखत के बाद कुल 1/2 हिस्से पर वादी काबिज है। छैलसिंह का हिस्सा भी उसके अन्दर है। छैलसिंह वादी का सगा भाई है उसे इस हिस्से के बदले दूसरी जमीन दी है। इस आराजी में केसरसिंह का नाम सेटलमेंट के समय शामील भावली होने से दर्ज कर दिया था। अब दखलन्दाजी करने से दावा पेश किया है।

गवाह तलकाराम पी0डब्ल्यू 2

गवाह तलकाराम अपने बयानों में बताता है कि केशरसिंह का 1/6 हिस्सा खेतसिंह व छैलसिंह को लिख कर दे दिया था, छैलसिंह को इस हिस्से की बजाय और हिस्सा दिया गया है। इस बेरे में छैलसिंह का हिस्सा खेतसिंह को मिला। इकरारनामा केसरसिंह ने लिखकर दिया था। उस समय केसरसिंह को 2000/- रूपये दिये थे।

गवाह सदीया पी0डब्ल्यू 3

गवाह सदीया अपने बयानों में बताता है कि इस बेरे में 30 बीघा में खेतसिंह का 1/2 हिस्सा है। इनके भाई छैलसिंह का हिस्सा भी खेतसिंह को मिला है। इस बेरे में केसरसिंह का कभी कब्जा कास्त नही देखा, यह बात गलत है कि राणसिंह का इस आराजी पर कब्जा काश्त है।

गवाह जयसिंह पी0डब्ल्यू 4

गवाह जयसिंह अपने बयानों में बताता है कि वादी का बेटा जो करीब 30 बीघा का है। जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा आता है। 1/6 हिस्सा छैलसिंह ने वादी को आपसी बंट के अनुसार दिया था। 1/6 हिस्सा में केसरसिंह का गलत नाम होने से हम ग्रामवासियों ने पंचायती कर लिखत करवाया था। केसरसिंह का मौके पर कभी कब्जा नही देखा। बिगोडी भी खेतसिंह ही देता है। इस बेरे पर खेतसिंह की रहवासीय ढाणी बनी हुई है। जिसमें उनका परिवार रहता है।

गवाह छैलसिंह पी0डब्ल्यू 5

गवाह छैलसिंह अपने बयानों में बताता है कि खेतसिंह का बेरा 30 बीघा के लगभग है। वादी ने प्रतिवादीगण से बेरा मोल लिया था। इस पर वादी खेतसिंह का ही कब्जा कास्त है। बिगोडी खेतसिंह ही भरता है, बेरे पर बिजली कनेक्शन लिया हुआ है एवं मकान बनाया हुआ है। इनके आपसी इकरारनामा होना सुना था मगर मेरे सामने नही हुआ।

गवाह वादी स्वयं खेतसिंह पी0डब्ल्यू 6

गवाह वादी स्वयं खेतसिंह के दुबारा बयान करवाये जाने पर वादी द्वारा अपने बयानों मे पूर्व बयानों की ही ताहिद की है।

गवाह ओमकारसिंह पी0डब्ल्यू 7

गवाह ओमकारसिंह अपने बयानों में बताता है कि विवादित आराजी में पूर्व में उसके पिता भबुतसिंह सहखातेदार थे, वर्तमान में इस आराजी में अपने हिस्से माफिक खातेदार हूं। विवादित आराजी में केसरसिंह द्वारा अपना 1/6 हिस्सा खेतसिंह को आपसी बंटवाडे में दे दिया था। तब से अर्थात 30-35 वर्षो से केसरसिंह की बजाय वादी खेतसिंह का कब्जा काश्त है।

गवाह भवानीसिंह पी0डब्ल्यू 8

गवाह भवानीसिंह अपने बयानों में बताता है कि इस विवादित आराजी में पूर्व में उसके पिता गजेसिंह तथा उनके स्वर्गवास पर वर्तमान में वह खातेदार है। इस आराजी में केसरसिंह का 1/6 हक हिस्सा खेतसिंह वादी को आपसी सहमति बंटवाडे में दे दी थी। इस बाबत लिखित लिखा पढी हुई थी तथा वर्तमान में भी केसरसिंह के 1/6 हिस्से पर वादी खेतसिंह का कब्जा काश्त है। केसरसिंह के वारिसान का वर्तमान में इस आराजी पर कब्जा काश्त नही है।

प्रतिवादीगण की कोई दस्तावेजी एवं जुबानी शहादत प्रस्तुत नही हुई है।

वादी एवं प्रतिवादी केसरसिंह के कायम मुकाम प्रतिवादीगण उछबकंवर, रामसिंह व राणसिंह के बीच आपसी राजीनामा दिनांक 11.09.1995 को प्रस्तुत हुआ। जो बाद तस्दीक

लेक्टर
जालोर

Scanned by CamScanner

शामिल पत्रावली किया गया है। राजीनामा संक्षेप में इस प्रकार है कि सरहद मौजा आकोली के साबिका बन्दोबस्त के ख0नं0 176, 175/1, 176 कुल 29 बीघा 19 बिस्वा में 1/6 हिस्से आराजी में मात्र भावली होने के नाते नाम दर्ज हो गया है, लेकिन मौके पर आज दिन तक कभी भी कब्जा नही रहा। उक्त आराजी के 1/6 हिस्से में केसरसिंह के बजाय खेतसिंह राजपूत आकोली दर्ज कर दिया जावे तो हमे कोई आपत्ति नही है। लिहाजा 1/6 हिस्से की डिक्री खेतसिंह के बंट की जारी की जावे।

राजीनामा में ख0नं0 176, 175/1, 176 अंकित किया गया है। जबकि ख0नं0 176, 175, 175/1 सही है। राजीनामा में ख0नं0 176 का दो बार अंकन हुआ है जो प्रथम दृष्टया टंकन की एवं क्लेरीकर त्रुटि होना संभावित है इस तथ्य को आगे विवेचित किया जायेगा।

बहस विद्वान अभिभाषक वादी की सुनी गई। विद्वान अभिभाषक वादी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन पर बहस पर मनन किया गया। तद्नुसार कायम तनकीयात को निम्नानुसार निर्णित किया जाता है -

तनकी नम्बर 1 -

यह तनकी इस प्रकार है कि आया सरहद मौजा आकोली के खेत मय बेरा बनाम पतालिया खसरा नं0 176 रकबा 29 बीघा 8 बिस्वा किस्म बी थर्ड व खसरा नं0 176 रकबा 10 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन ओड व खसरा नं0 175/1 रकबा 1 बिस्वा जुमले रकबा 29 बीघा 19 बिस्वा में से 1/2 हिस्से पर प्रतिकुल कब्जे के सिद्धान्त के आधार पर वादी खातेदारी हक प्राप्त करने का अधिकारी है? यह तनकी जिम्मे वादी के है। वादी द्वारा विवादित आराजी पर प्रतिकुल कब्जे के सिद्धान्त के आधार पर खातेदारी हक प्राप्त करने के संबंध में कोई विधिक आधार व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये है। वादी अपने सगे भाई छैलसिंह के हिस्से को प्रतिकुल कब्जे के सिद्धान्त पर प्राप्त नही कर सकता है। प्रतिवादी छैलसिंह व तत्समय दर्ज केसरसिंह का 1/6 हिस्सा जो सह खातेदारी का है। सहखातेदारी के विरूद्ध एडवर्स पजेशन का सिद्धान्त लागू नही होता है। अतः वादी उक्त आधारों पर छैलसिंह की आराजी के खातेदारी अधिकार प्राप्त नही कर सकता है। प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार वादी खेतसिंह व छैलसिंह द्वारा जरिये इकरारनामा ई0एक्स0पी0 1 के खरीद करना बताता है। तत्पश्चात पक्षकारान के मध्य राजीनामा होता है कि विवादित उक्त आराजी जो केसरसिंह के 1/6 हिस्से की है। वादी के नाम खातेदारी की होना घोषित किया जाता है तो कोई एतराज नही है। मात्र भावली होने के नाते उसका नाम दर्ज हो गया था। अतः केसरसिंह के बजाय खेतसिंह को खातेदार दर्ज किया जावे। उक्त तथ्यों के अनुसार विवादित आराजी वादी द्वारा खरीद की है व जरिये राजीनामा के तथ्य विवादित आराजी वादी के पक्ष में हस्तान्तरण करने के तथ्यों को परिलक्षित करता है। तद्नुसार एडवर्स पजेशन के सिद्धान्त यहां लागू नही होते है। तद्नुसार यह तनकी विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 2

तनकी नम्बर 2 इस प्रकार है कि आया सह खातेदार छैलसिंह के बंट की आराजी 1/6 हिस्सा भी पारिवारिक बंटवाडे के हिसाब से वादी के कब्जे काश्त की व प्रतिवादी केशरसिंह पुत्र गुमानसिंह की आराजी जो 1/6 हिस्से का बंट है वह भी पूर्व में वादी को बेचान कर काबिज करवा दिया था व वादी का कब्जा है। इस प्रकार कुल आराजी वादी प्रतिकुल कब्जे के सिद्धान्त के आधार पर खातेदारी हक रेकर्ड्स दुरस्ती करवाने का अधिकारी है? यह तनकी जिम्मे वादी है। वाद में वर्णित तथ्यों व इस्तदुआ के अनुसार वादी नें सहखातेदार छैलसिंह के 1/6 हिस्सा को पारिवारिक बंटवाडे के हिसाब से वादी के कब्जे काश्त की होना बताते हुए प्रतिकूल कब्जे के सिद्धान्त अर्थात एडवर्स पजेशन के सिद्धान्त के आधारों पर उक्त हिस्से की खातेदारी अधिकार प्रदान करने की इस्तदुआ की है। चुंकि प्रतिवादी छैलसिंह वादी का सगा भाई है। यह तथ्य स्वीकृत रूप से सही है। सगे भाई की सह खातेदारी का हिस्सा वादी को एडवर्स पजेशन के सिद्धान्तों पर ऐसे हिस्से के खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है। तनकी नम्बर 1 में इसे स्पष्ट रूप से विवेचित किया गया है। फलस्वरूप छैलसिंह 1/6 हिस्से की खातेदारी वादी एडवर्स पजेशन के सिद्धान्त पर प्राप्त नही कर सकता है।

प्रतिवादी केसरसिंह व गुमानसिंह के 1/6 हिस्से की सह खातेदारी की आराजी को भी उक्त सिद्धान्त अनुसार अर्थात सह खातेदार की सह खातेदारी के अधिकार एडवर्स पजेशन के सिद्धान्त के अनुसार खातेदारी के अधिकार प्राप्त नही हो सकते है। वादी ने अपने वाद के कथनों में केसरसिंह के 1/6 हिस्से के संबंध में यह व्यक्त किया है कि बर वक्त सेटलमेंट की सही पैमाईस नही होने से प्रतिवादी केसरसिंह का 1/6 हिस्सा खातेदारी का दर्ज हो गया

Scanned by CamScanner

था। लेकिन प्रतिवादी केसरसिंह का कभी कब्जा नही होने से वादी का कब्जा स्वीकार किया है। अमन चैन बनाये रखने हेतु प्रतिवादी केसरसिंह को उक्त आराजी का प्रतिफल चुकता कर बकायदा लिखत इकरारनामा भी करवा दिया है व प्रतिवादी को तकाजा करने पर लिखत बेचान करने का इकरार किया है।

उक्त बेचान इकरारनामा ई0एक्स0पी0 1 के अंकन व इबारतों के अनुसार प्रतिवादी केसरसिंह का उक्त 1/6 हिस्सा वादी खेतसिंह व छैलसिंह को बेचान कर दिया है। जिसके बदले प्रतिफल प्राप्त कर लिया । जिस समय खरीददार रजिस्ट्री करवाना चाहेंगे रजिस्ट्री करवा देंगे। प्रतिवादी केसरसिंह के कायम मुकामान द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर उक्त तथ्यों .को अस्वीकार किया। तत्पश्चात प्रतिवादी केसरसिंह के कायम मुकामान द्वारा राजीनामा पेश किया। राजीनामा दिनांक 11.09.95 में यह स्वीकार किया है कि उक्त 1/6 हिस्सा में मात्र भावली होने के नाते नाम दर्ज हो गया है। लेकिन मौके पर आज दिन तक कभी भी कब्जा नही रहा है। उक्त 1/6 हिस्से में केसरसिंह पुत्र गुमानसिंह की बजाय खेतसिंह वादी का नाम दर्ज किया जावे तो हमे कोई आपत्ति नही है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व गवाहान के बयानों का अवलोकन करने पर ऐसे तथ्य प्रकट होते है कि वादी प्रतिवादी केसरसिंह के 1/6 हिस्से पर काबिज है। बेचान इकरारनामा में वर्णित तथ्यों के अनुसार वादी से प्रतिफल प्राप्त कर वादी केसरसिह व छैलसिंह को इस आराजी का बेचान कर यह स्वीकार किया है कि वादी व छैलसिंह इस आराजी पर काश्त कर सकेंगे। तत्पश्चात प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार प्रतिवादी केसरसिंह के कायम मुकामान यह स्वीकार करते है कि उक्त 1/6 हिस्सा वादी खेतसिंह के नाम दर्ज किया जावे तो उन्हे कोई एतराज नही हैं। इस प्रकार प्रतिफल प्राप्त कर बेचान इकरारनामा तकमील कर कब्जा कास्त हेतु सहमति देना व उसके पश्चात अकेले वादी खेतसिह के पक्ष में राजीनामा प्रस्तुत कर देने से यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादी केसरसिंह व केसरसिंह के बाद उसके कायम मुकाम ने स्वीकृत रूप से वादी खेतसिंह को विवादित उक्त 1/6 हिस्से का बेचान कर काबिज करवा दिया था। मात्र पंजीयन शुल्क बचाने के लिये वादी व प्रतिवादी द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर वाद को वादी के पक्ष में डिक्री करवाने का प्रयास किया गया है। वादी उक्त बिना पंजीयन के क्रय शुदा आराजी पर काबिज है व कास्त कर रहा है। उक्त तथ्यों के विरूद्ध प्रतिवादी द्वारा कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किया। जिससे यह आभास या तथ्यात्मक जानकारी रिकार्ड पर उपलब्ध हो कि वादी उक्त इकरारनामा से क्रय शुदा आराजी पर अकेला काबिज है व प्रतिवादी छैलसिंह व वादी के सगे भाई का इस 1/6 हिस्से पर कोई कब्जा कास्त नहीं होना साक्ष्यों के बयानों राजीनामा में वर्णित तथ्यों से साबित है। अर्थात वादी खेतसिंह अकेले का ही उस क्रय शुदा विवादित 1/6 हिस्से की आराजी पर अन्य सह खातेदारों के साथ काबिज है व कास्त कर रहा है। इससे पंजीयन शुल्क की राजस्व हानि होना स्पष्ट व प्रमाणित रूप से साबित है। राजीनामा में वर्णित ख0नं0 176, 175/1, 176 अंकित है, सही ख0नं0 176, 175/1 व 175 है। 176 को दो बार अंकित किया जो टंकण एवं लिपिकीय भूल है।

राजीनामा विवादित आराजी से संबंधित है। अतः उक्त टंकण लिपिकीय भूल से राजीनामा को वाद के तथ्यों के विपरित माना जाना उचित नही है। इस प्रकार उक्त विवेचना अनुसार वादी छैलसिंह के 1/6 हिस्से की खातेदारी आराजी को प्रतिकुल कब्जे अर्थात एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार वादी प्राप्त करने का अधिकारी नही पाया जाता है। प्रतिवादी केसरसिंह व उसके कायम मुकाम राणसिंह व रामसिंह का 1/6 हिस्सा वादी द्वारा जरिये बेचान इकरारनामा के खरीद कर प्रतिफल चुकता कर कब्जे कास्त में हैं। अर्थात वादी द्वारा जरिये हस्तान्तरण विवादित उक्त आराजी को जरिये इकरारनामा के क्रय किया जाकर काबिज हो गया है व राजीनामा पेश करवा कर पंजीयन शुल्क की राजस्व हानि कारित कर खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहता है। चुंकि वादी उक्तानुसार जरिये बेचान इकरारनामा के विवादित आराजी को क्रय कर उस पर काबिज हो गया है। अतः वह पंजीयन शुल्क अदा करते हुए खातेदारी अधिकार उक्त 1/6 हिस्से का प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है। तद्नुसार उक्त तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 3

तनकी नम्बर 3 इस प्रकार है कि आया वादी बर खिलाफ प्रतिवादी नं0 1 केशरसिंह के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है? यह तनकी जिम्मे वादी है तनकी नम्बर 1 विरूद्ध प्रतिवादी केसरसिंह के कायम मुकाम के विरूद्ध इस कदर निर्णित हुई है कि वादी पंजीयन शुल्क अदा कर विवादित 1/6 हिस्सा जो केसरसिंह व उसके कायम मुकाम राणसिंह व रामसिंह के खातेदारी का दर्ज के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी

Scanned by CamScanner

उक्त 1/6 हिस्से पर अन्य सहखातेदारों के साथ काबिज है काश्त कर रहा है। ऐसी स्थिति में वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही किये जाने हेतु प्रतिवादी राणसिंह व रामसिंह के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित व न्यायोचित है। फलस्वरूप यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादी 1 व बहक वादी के निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 4

यह तनकी इस प्रकार है कि आया वादी द्वारा प्रस्तुत इकरारनामा फर्जी है। यदि ऐसा हो तो वाद पर क्या असर होगा? यह तनकी जिम्मे प्रतिवादी है। उपरोक्त विवेचित व निर्णित तनकीयात के आधार पर एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत के विरूद्ध प्रतिवादीगण को कोई साक्ष्य सबूत पेश नही हुए है। जिससे यह नही माना जा सकता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत इकरारनामा फर्जी है। फलस्वरूप यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण बहक वादी निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 5

यह तनकी इस प्रकार है कि आया दावा वादी एडवर्स पजेशन के सिद्धान्त पर चलने काबिल नही है। यह तनकी जिम्मे प्रतिवादी है, वस्तुतः सह खातेदार के विरूद्ध एडवर्स पजेशन के आधारों पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त नही की जा सकती है। उक्त आधारों पर यह वाद चलने योग्य नही है। परन्तु विवादित आराजी का प्रतिवादी द्वारा हस्तान्तरण किया है व पंजीयन शुल्क की राजस्व हानि कारित करने के लिये वादी एवं प्रतिवादी प्रयास कर रहे है। अतः इसी अनुरूप उपरोक्त विवेचित तनकीयात के अनुसार वादी पंजीयन शुल्क अदा करने व खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। तद्नुसार यह तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 6

यह तनकी इस प्रकार है कि आया दादरसी क्या होगी यह तनकी जिम्मे अदालत है। उपरोक्त विवेचित व निर्णित तनकीयात के अनुसार वादी से पंजीयन शुल्क वसूल करते हुए उसे विवादित आराजी के खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना उचित व न्यायोचित है।

आज्ञा

उपरोक्त विवेचन व निर्णित तनकीयात के निर्णयानुसार दावा वादी इस कदर डिक्री किया जाता है कि वादी विवादित उक्त 1/6 हिस्सा जो प्रतिवादी केसरसिंह पुत्र गुमानसिंह के खातेदारी का था के फौत होने पर वर्तमान में उसके कायम मुकाम राणसिंह व रामसिंह पिसरान केसरसिंह के खातेदारी का 1/6 हिस्सा दर्ज है के वर्तमान ख0नं0 601, 602, 603, 604, 605 कुल रकबा 4.8500 हे0 का प्रतिवादी रामसिंह व रामसिंह के स्थान पर खातेदार वादी खेतसिंह को घोषित किया जाता है। उक्त हिस्सा के हस्तान्तरण पर देय पंजीयन एवं मुद्रांक की राशि वादी के वाद पेश करने की तिथि 01.07.1988 को देय दर से वसूल योग्य है यह शुल्क राशि वादी अदा करे। शुल्क राजकोष में जमा होने के पश्चात राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।वादी की उक्त घोषित खातेदारी की संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी में उसके उपयोग व उपभोग में दखलन्दाजी नही किये जाने हेतु प्रतिवादी रामसिंह व राणसिंह को जरिये स्थायी निशेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करे।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 14/8/19 को सुनाया गया।

दुरस्ती की गई।

14/8/19
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जालोर

14/8/19
(चम्पालाल आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
(एसडीओ) जालोर

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) मुकाम जालोर बइजलास श्री चम्पालाल जीनगर आर0ए0एस0

राजस्व वाद सं0 :- 50/1988

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
खेतसिंह पुत्र रावतसिंह जाति राजपूत निवासी आकोली तहसील व जिला जालोर		1. मृतक केशरसिंह के कायम मुकाम 1/1 राणसिंह पुत्र केशरसिंह 1/2 रामसिंह पुत्र केशरसिंह 2. मृतक छैलसिंह के कायम मुकाम 2/1 दीपसिंह पुत्र छैलसिंह 2/2 ईश्वरसिंह पुत्र छैलसिंह 3. दुर्जनसिंह पुत्र परवतसिंह 4. कालूसिंह पुत्र उकसिंह 5. मृतक गजेसिंह के कायम मुकाम 5/1 भवानीसिंह वल्द गजेसिंह 6. मृतक मोडसिंह के कायम मुकाम 6/1 दलपतसिंह पुत्र मोडसिंह 6/2 भलसिंह पुत्र मोडसिंह 7. जबरसिंह फौत के कायन मुकाम 7/1 शैतानसिंह पुत्र जबरसिंह 8. मृतक मंगलसिंह के कायम मुकाम 8/1 पाबूसिंह पुत्र मंगलसिंह 9. ओमकार सिंह पुत्र भबूतसिंह जातियान राजपूत निवासीगण आकोली।

दावा हस्त दफा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बकुलाय फरीकेन ब हाजरी वकील वादी... मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादीगण अनुपस्थित मिनजानिब मुद्दयलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी विवादित उक्त 1/6 हिस्सा जो प्रतिवादी केसरसिंह पुत्र गुमानसिंह के खातेदारी का था के फौत होने पर वर्तमान में उसके कायम मुकाम राणसिंह व रामसिंह पिसरान केसरसिंह के खातेदारी का 1/6 हिस्सा दर्ज है के वर्तमान ख0नं0 601, 602, 603, 604, 605 कुल रकबा 4.8500 हे0 का प्रतिवादी रामसिंह व रामसिंह के स्थान पर खातेदार वादी खेतसिंह को घोषित किया जाता है। उक्त हिस्सा के हस्तान्तरण पर देय पंजीयन एवं मुद्रांक की राशि वादी के वाद पेश करने की तिथि 01.07.1988 को देय दर से वसूल योग्य है यह शुल्क राशि वादी अदा करे। शुल्क राजकोष में जमा होने के पश्चात राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।वादी की उक्त घोषित खातेदारी की संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी में उसके उपयोग व उपभोग में दखलन्दाजी नहीं किये जावे हेतु प्रतिवादी रामसिंह व राणसिंह को जरिये स्थायी निशेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है।

खर्चा फरीरू अपना-अपना वहन करें। लीज .... मुबलिक .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14 माह 8 सन् 19 को जारी की गई।

(चम्पालाल जीनगर आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
(एसडीओ) जालोर

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.)जालोर

मुहर

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.)जालोर

Scanned by CamScanner

मुद्दई		रुपया	पै.	मुद्दायला		रुपया	पै.
स्टाम्प अरजीदावा	.....			स्टाम्प वकालतनामा	.....		
स्टाम्प वकालतनामा	.....			स्टाम्प अरजी	.....		
स्टाम्प वजह सबूत	.....			महनताना वकील	.....		
महनताना वकील	.....			खर्चा गवाहान	.....		
खर्चा गवाहान	.....			फीस कमिश्नर	.....		
फीस कमिश्नर	.....			बाबत इजराय हुकमनामा	.....		
बाबत इजराय हुकमनामा	.....			मुतफर्रिक	.....		
मुतफर्रिक	.....			मीजान	.....		
मीजान	.....				.....		

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

(चम्पालाल जीनगर आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
(एसडीओ) जालोर

सहायक कलक्टर
(एस डी.ओ.) जालोर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Champalal Jeengar
Date: 2019.12.06 16:52:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: